

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक अस्पताल / स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता का आँकलन-रिपोर्ट

प्रस्तावना :-

छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क जेनेरिक दवाईयों की समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्धता एवं वितरण हेतु नीति वर्ष 2013—14 में बनाई गई है। शासन की अधिसूचना के अनुसार सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सिविल अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में सभी मरीजों को जेनेरिक दवाओं का वितरण 15 अगस्त, 2013 से प्रारंभ किया गया है।

मरीजों के लिए जेनेरिक दवाईयों की वितरण व्यवस्था हेतु नीति के अनुसार निम्नलिखित मुख्य दिशानिर्देश निरूपित किये गए हैं :--

- 1. समस्त शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवाईयाँ ही लिखी जावे।
- 2. सभी मरीजों को, चाहे वे बाह्य रोगी विभाग हो अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् स्मार्ट कार्डधारी हो, सभी जेनेरिक दवाएँ निःशुल्क दी जानी है।
- 3. यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी मरीज को दवा प्राप्त करन के लिए 10 मिनट से अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े।
- 4. हर संस्था के लिए निर्धारित अनिवार्य औषिध सूची एवं प्रत्येक दवा के स्टाक की दैनिक स्थिति दवा वितरण केन्द्र पर अनिवार्यतः प्रदर्शित की जावेगी।

उक्त नीति के क्रियान्वयन के कार्यों के ऑकलन के उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़ द्वारा संभागवार चयनित पाँच जिले के 3 मेडिकल कॉलेज, 4 जिला चिकित्सालय, 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एव 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन कर चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही दवाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई एवं जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता का ऑकलन किया गया। जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता हेतु संभागवार चयनित शासकीय चिकित्सालयों के नाम संलग्नक "अ" में उल्लेखित है।

सर्वेक्षण कार्य, प्रश्नावली तथा आँकड़ों का संग्रहण :-


सर्वेक्षण कार्य के लिए सर्वेक्षण कार्यों में निपुण व जेनेरिक एवं ब्रॉण्डेड दवाईयों के बारे में विस्तृत जानकारी रखने वाले 4 फील्ड इन्वेस्टीगेटर (Pharmacist) का चयन किया गया। फील्ड इन्वेस्टीगेटर के चयन के पश्चात् मरीजों के साक्षात्कार के लिए उपयोग की जाने वाली सर्वेक्षण प्रपत्र के अनुसार राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के पूर्व इन फील्ड इन्वेस्टीगेटर द्वारा मरीजों के साक्षात्कार हेतु प्रयोग की जाने वाली सर्वेक्षण प्रपत्र की उपयोगिता का आँकलन करने के लिए जिला चिकित्सालय, रायपुर में प्रश्नावली का प्रारंभिक अध्ययन किया गया। फील्ड इन्वेस्टीगेटर के द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र का उपयोग करते हुए किए गए साक्षात्कार का प्रारंभिक आँकलन कर प्रश्नावली में आवश्यक सुधार करते हुए सर्वेक्षण प्रपत्र को अंतिम रूप प्रदान किया गया। सर्वेक्षण पत्र संलग्नक "ब" में उल्लेखित है।

सर्वेक्षण परिणाम :-

1. शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही जेनेरिक दवाईयों का विवरण


पाँचों संभाग से चयनित 3 मेडिकल कॉलेज, 4 जिला अस्पताल, 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निश्चित दिवस एवं समय पर क्रास सेक्सनल अध्ययन किया गया।



अध्ययन में यह पाया गया कि शासकीय अस्पतालों में चिकित्सकों के द्वारा लिखी गई दवाईयों में से 66.95% (1613 दवाईयों में से 1080 दवाईयाँ) जेनेरिक हैं।


बिलासपुर में सबसे कम 56.22% जेनेरिक दवाईयाँ चिकित्सकों द्वारा लिखी जा रही है। बस्तर तथा रायपुर जिले में क्रमशः 60.47% एवं 65.89% जेनेरिक दवाईयाँ चिकित्सकों द्वारा मरीजों के लिए लिखी जा रही है। सरगुजा तथा दुर्ग में यह प्रतिशत 75.74% एवं 74.12% है, जो कि अन्य तीन संभागों से अच्छा है।

2. शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता का विवरण




चित्र क्रमाँक 2 में दर्शाए अनुसार चिकित्सकों द्वारा मरीजों को लिखे गए कुल 1080 जेनेरिक दवाईयों में से दुर्ग जिले में सबसे अधिक 90.16% तथा बिलासपुर में सबसे कम 67.72% ही जेनेरिक दवा अस्पताल से मिली। शेष जिले रायपुर, बस्तर तथा सरगुजा में जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता का प्रतिशत क्रमशः 89.44, 83.67 तथा 77.78 था।

3. चिकित्सकों द्वारा लिखी गई ब्रॉण्डेड दवाईयों में से अस्पताल में उपलब्ध ब्रॉण्डेड दवाईयों का विवरण




चित्र क्रमाँक 3 में दर्शाए अनुसार चिकित्सकों द्वारा मरीजों को 1613 (जेनेरिक एवं ब्रॉण्डेड) दवाईयाँ लिखी गई। चिकित्सकों द्वारा लिखी गई 533 बॉण्डेड दवाईयों में से 36.85% ब्रॉण्डेड दवाईयाँ मरीजों को अस्पताल से मिली।

4. चिकित्सकों द्वारा लिखी गई जेनेरिक एवं ब्रॉण्डेड दवाईयों में से बाहर से खरीदी गई दवाईयों का विवरण



चित्र क्रमाँक 4 से यह स्पष्ट है कि बिलासपुर में सबसे अधिक 49.81% दवाईयाँ मरीजों के द्वारा बाहर से खरीदी जा रही है। बस्तर (32.63%), सरगुजा (31.99%), रायपुर (28.79%) एवं दुर्ग (25.06%) में भी मरीजों के द्वारा दवाईयों को बाहर से खरीदने का प्रतिशत 25 से ऊपर है।

5. मरीजों द्वारा अस्पताल से दवाईयाँ प्राप्त करने में लगे समय का विवरण



चित्र क्रमाँक 5 में अध्ययन से प्राप्त हुए परिणाम के अनुसार मरीजों द्वारा अस्पताल में दवाई प्राप्त करने में लगे समय का विवरण किया गया है, जिसमें दुर्ग, बिलासपुर एवं बस्तर जिले में शत् प्रतिशत मरीजों को दवाईयाँ 10 मिनट या उससे कम में उपलब्ध हो जा रही है। सरगुजा (96.51%) एवं रायपुर (91.51%) में भी यह प्रतिशत संतोषजनक है, जिसमें थोड़ा सा सुधार करने पर शत् प्रतिशत किया जा सकता है।

उपसंहार :-

- 66.95% चिकित्सकों के द्वारा शासकीय अस्पतालों में जेनेरिक दवाईयाँ लिखी जा रही है।
- लिखी गई जेनेरिक दवाईयों में से 82.94% अस्पताल की फॉर्मेसी से ही दी जा रही हैं।
- लगभग समस्त चयनित स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों को 10 मिनट के अंदर दवाईयाँ उपलब्ध करायी जा रही है।
